Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Service Appeal No.- 10/2016

Rajendra Kumar Das ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar Through D.M. Kishanganj ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	15.09.2023	**आदेश** प्रस्तुत अपील आवेदन जिला पदाधिकारी, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक–231 / जि0स्था0 दिनांक–01.04.2016 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया है। अपीलार्थी अनुपस्थित। दिनांक–04.09.2019 से अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। अपील आवेदन के माध्यम से अपीलार्थी का कथन है कि इनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र–'क' में दो आरोप यथा–जब ये दिघलबैंक प्रखंड कार्यालय में प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल के पद पर कार्यरत थे तब दिनांक–14.02.2012 को कार्यालय निरीक्षण के क्रम में इनके द्वारा विभिन्न शीर्षों के संधारित रोकड़ पंजी की जाँच नहीं की गई थी जो इनकी लापरवाही का द्योतक है तथा 2. प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघलबैंक के आदेश के बावजूद पंजी का जाँच नहीं किया जाता था एवं इनके द्वारा दैनिक कार्यों का संपादन भी ससमय नहीं किया जाता था। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में इनसे द्वितीय स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए प्रमाणित आरोपों के आधार पर उनके विरूद्ध एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध का दंड़ अधिरोपित किया गया। इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर कोई विचार नहीं किया गया। इनका आगे कथन है कि जिला पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक–231 दिनांक–01.04.2016 की कंडिका–2 में उल्लेख किया गया है कि श्री दास द्वारा समर्पित द्वितीय स्पष्टीकरण में अपने पक्ष में मात्र अपना तथ्य रखा गया है। प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य नहीं दिया गया है। जबकि साक्ष्य स्वरूप रोकड़ पंजी, संचिका एवं अन्य कागजात प्रखंड विकास पदाधिकारी से माँग किया जाना चाहिए था। इस प्रकार इनकी ओर से अपील आवेदन स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रधान लिपिक–सह–लेखापाल की हैसियत से उक्त पंजियों की जाँच की जानी	

Web Copy Not Official.

		चाहिए थी जो निरीक्षण तिथि को नहीं किया जाना पाया गया। संचालित विभागीय कार्यवाही में अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने के आधार क्रमशः	
	लगातार 15.09.2023	पर जिला पदाधिकारी–सह–अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अधिरोपित दंड़ नियमानुकूल है। अतः उपरोक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, किशनगंज को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.